अपील सूचना अधिकार संख्या 05/2019 (RCMS 2019/00007) श्री राधेश्याम गोयल पुत्र स्व. श्री भगवान दास गोयल जाति अग्रवाल आयु 69 वर्ष निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर(पो.ऑ. नम्बर 41एफ/166055) बनाम निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम.), श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

21.10.2019

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल स्वयं उपस्थित हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी ने अपनी बहस में कहा कि उसने लोक सूचना अधिकारी एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम.), श्रीगगानगर के समक्ष सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके 05 बिन्दुओं की सूचना चाही थी। लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसे निश्चित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं करवाई है। इसलिए उसे लोक अधिकारी से वांछित बिन्दुवार सूचनाएं उपलब्ध करवाई जावे एवं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत 25000/– रूपये शास्ति अधिरोपित की जावे एवं हर्जाना प्रार्थी को दिलवाये जाने की प्रार्थना की है।

मैनें उक्त तर्को पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 22.10.2018 से लोक सूचना अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निम्न सूचना चाही थी:

1. निर्वाचक रजिस्ट्रेशन पदाधिकारी (एस.डी.एम.), श्रीगंगानगर श्री कैलाश चन्द शर्मा ने अपने पत्र 1638 दिनांक 26.08.2018 से स्वीकार कर रहे है कि बी.एल.ओ. श्री सुभाष गोयल दिनांक 06.04.2014 को ड्यूटी निरन्तर थी। ड्यूटी 06.04.2014 को निरन्तर होने की सूचना व प्रमाणित प्रति।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

2. प्रबन्ध निदेशक, दी गंगानगर सहकारी बैंक लिमिटेड, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक 13931 दिनांक 23.08.2017 जो श्रीमान् निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर को सम्बोधित है उसमें स्वीकार किया है कि बी.एल.ओ. श्री सुभाष गोयल दिनांक 05.04.2014 से 07.04.2014 तक मुयालय छोड़ने की अनुमति ले गया था।
3. श्री सुभाष गोयल, बी.एल.ओ. की लोकसभा चुनाव में जिस अवधि से जिस अवधि तक ड्यूटी निरन्तर की उस अवधि की लिखित सूचना।
4. प्रबन्ध निदेशक श्री एम.आर. खन्ना, प्रबन्ध निदेशक ने मुख्यालय छोड़ने की अनुमति दिनांक 05.04.2014 से 07.04.2014 तक जिस निर्वाचन अधिनियम व भारत निर्वाचन आयोग व राज्य निर्वाचन आयोग, जयपुर के आदेश की पालना में दी, उसकी सूचना व नियम की प्रमाणित प्रति।
5. उपरोक्त दोनों अधिकारियों के कथन में विरोधाभाष है। श्री कैलाश चन्द शर्मा, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी, श्रीगंगानगर (एस.डी.एम.) स्वीकार कर रहे है कि बी.एल.ओ. श्री सुभाष गोयल की ड्यूटी निरन्तर थी एवं इसके विपरीत प्रबन्ध निदेशक, दी गंगानगर केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., श्रीगंगानगर स्वीकार कर रहे बी.एल.ओ. श्री सुभाष गोयल दिनांक 05.04.2019 से 07.04.2014 तक मुख्यालय छोड़ने की अनुमतति लेकर गया था। इन दोनों विरोधाभासी तथ्यों में जांच अधिकारी नियुक्त कर सूचना जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराने बाबत।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उक्त अपील पत्र के संदर्भ में सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक सूकाअ/2018/4165 दिनांक 18.12.18 से अपीलार्थी को निम्नानुसर जवाब दिया है :

क्र.सं.	वांछित सूचना	प्रतिउत्तर
1	निर्वाचक रजिस्ट्रेशन पदाधिकारी (एस. डी.एम.), श्रीगंगानगर श्री कैलाश चन्द शर्मा अपने पत्र 1638 दिनांक 26.0.08. 2018 से स्वीकार कर रहे है कि बी. एल.ओ. श्री सुभाष गोयल दिनांक 06. 04.2014 को ड्यूटी निरन्त थी। ड्यूटी दिनांक 06.04.2014 को निरन्तर होने की सूचना व प्रमाणित प्रति।	यह सूचना पूर्व में भी दिनांक 28.04.2014 को आपको दी जा चुकी है। जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न है।
2	प्रबंधक निदेशक, श्रीगंगानगर सहकारी बैंक लिमिटेड, श्रीगंगानगर ने अपने पत्र क्रमांक 13931 दिनांक 27.08.2017 जो श्रीमान् निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के सम्बन्धित है उसमे स्वीकार किया है कि बी.एल.ओ. श्री सुभाष गोयल दिनांक 05.04.2014 से 07.04.2014 तक मुख्यालय छोड़ने की अनुमति ले गया था।	पत्र क्रमांक 13931 दिनांक 23.08.2017 की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न है।
3	श्री सुभाष गोयल, बी.एल.ओ. की लोकसभा चुनाव से जिस अवधि में से जिस अवधि तक ड्यूटी निरन्तर थी उस अवधि की लिखित सूचना।	लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजितज करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा
4	प्रबन्ध निदेशक श्री एम.आर. खन्ना ने मुख्यालय छोड़ने की अनुमति दिनांक 05.04.2019 से 07.04.2019 तक जिस	

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

	निर्वाचन अधिनियम व भारत निर्वाचन आयोग व राज्य निर्वाचन आयोग, जयपुर के आदेश की पालना सेदी उसकी सूचना व नियम की प्रमाणित प्रति।	उठाई गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों के उत्तर देना अपेक्षित नहीं है। सूचना का सृजन करना अधिनियम के कार्यक्षेत्र से बाहर है चूंकि खोजे गये तथ्यों के आधार पर नही है। सूचना का सृजन करना अधिनियम के कार्यक्षेत्र से बाहर है चूंकि खोजे गये तथ्यों के आधार परनई सूचना बनाकर दिया जाना सूचना के अधिकार के तहत नहीं आता है।
5	उपरोक्त दोनों अधिकारियों के कथन में विरोधाभाष है। श्री कैलाश चन्द शर्मा, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी, श्रीगंगानगर(एस.डी.एम.) स्वीकार कर रहे है कि बी.एल.ओ. श्री सुभाष गोयल की ड्यूटी निरन्त थी एवं इसके विपरित प्रबन्ध निदेशक, दी गंगानगर केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., श्रीगंगानगर स्वीकार कर रहे बी.एल. ओ. श्री सुभाष गोयल दिनांक 05.04. 2019 से 07.04.2014 तक मुख्यालय छोड़ने की अनुमतति लेकर गया था। इन दोनों विरोधाभासी तथ्यों में जांच अधिकारी नियुक्त कर सूचना जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराने बाबत।	

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। **तृतीय पक्ष से सम्बन्धित नहीं होनी चाहिए एवं कार्यालय के कार्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली अर्थात विस्तृत नहीं**

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो कोई नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजें गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है।

सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। इस दृष्टिकोण से लोक सूचना अधिकारी द्वारा उक्तानुसार जो उत्तर दिया गया है, वह सही है, उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं हैं। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अतः अपीलार्थी की अपील उक्त विवेचन के आधार पर खारिज की जाती है। आदेश की प्रति सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 21.10.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर